बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ०2-1024/2021- 1820 पटना, दिनांक:- 27/08/25

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के गैर सरकारी प्रेषण सं0-41, दिनांक-05.04.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय अंतर्गत बुधौली बंकर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने एवं इस योजना के प्रगति से संबंधित गलत प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के आरोप में श्री रंजीत कुमार सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-1779, दिनांक-15.12.2021 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के पत्रांक-02, दिनांक-18.01.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

02. विभाग द्वारा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बुधौली बंकर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना अन्तर्गत संवेदक द्वारा अनियमित जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही बुधौली बंकर पंचायत के वार्ड सं0-07 एवं चम्पानगर वार्ड सं0-08 के बसावटों में पेयजल की निर्बाध व्यवस्था नहीं हो पायी है। 250 घरों में नये गृह जल संयोजन की आवश्यकता है।

03. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन में श्री सिंह के स्तर से लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है। अतएव समीक्षोपरांत श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि अभिकथित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल, सं0-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

04. आरोपित श्री सिंह, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

05. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में

abh/sanklp

निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति एवं आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) श्री रंजीत कुमार सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल, सं0-05, पटना को दी जाय।

06. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.08.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-1024/2021- 1820 पटना, दिनांक- 27/08/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-1024/2021- 1820 पटना, दिनांक- 27/08/25

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल, सं0-05, पटना/श्री रंजीत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-1024/2021- 1820 पटना, दिनांक- 27/08/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

26.8.25

abh/sanklp